



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 ज्येष्ठ 1946 (श10)

(सं0 पटना 530) पटना, बृहस्पतिवार, 20 जून 2024

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

20 जून 2024

एस० ओ० 191, दिनांक 20 जून 2024—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(बिहार अधिनियम -12, 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 159 दिनांक 15 अप्रैल, 2024, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 390, दिनांक 15 अप्रैल, 2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पैरा 4 में, "1 अप्रैल, 2024" शब्दों और अंकों के स्थान पर "15 मई 2024" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(2) यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी मानी जाएगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-17) 2715)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

20 जून 2024

एस० ओ० 191, दिनांक 20 जून 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-17) 2715)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 20th June 2024

S.O. 191 dated The 20th June 2024—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, (Bihar Act 12, 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 159, dated the 15th April, 2024, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number-390, dated the 15th April, 2024, namely:-

In the said notification, in para 4, for the words and letters “1st day of April, 2024”, the words and letters “15th day of May, 2024” shall be substituted.

2. This notification shall come into force from 1st day of April, 2024.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-17) 2715)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 530-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>